दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित : 19.12.2023
उद्घोषित: 22.12.2023

रि.या.(आप.) 2700/2023

कुंदन सिंह .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री आशुतोष कौशिक, अधिवक्ता

बनाम

दिल्ली रा.रा.क्षे. राज्य सरकार .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री रूपाली बंधोपाध्या, राज्य की अति.स्था.अधि. सह श्री अभिजीत कुमार, अधिवक्ता उप. नि. करण पाल, थाना महरौली

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

निर्णय

निर्णय के लिए सूचकांक

प्रस्तावना 2

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि 2

इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलें.....4

विश्लेषण और निष्कर्ष..... 5

क. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आने वाले प्रजनन का अधिकार 5

ख. जेल में रहते हुए प्रजनन का अधिकार अखंडनीय नहीं 12

निष्कर्ष 13

<u>स्वर्ण कांता शर्मा, न्या.</u>

<u>प्रस्तावना</u>

1. इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा विधि के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को निर्णयनिर्णीत करना है कि क्या दोषसिद्ध व्यक्ति को प्रजनन और जनकता का अधिकार है या नहीं। इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना की गई है कि दोषसिद्ध व्यक्ति, जिसका पैरोल का अनुरोध खारिज कर दिया गया है, को इस आधार पर पैरोल पर रिहा किया जाए कि प्रजनन का अधिकार केवल एक इच्छा नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व का एक अनिवार्य पहलू है, जो पारिवारिक बंधनों की निरंतरता और किसी की विरासत के संरक्षण के लिए गहरी विविक्षा करता है।

2. इस जटिल विधिक प्रश्न का सामना करते हुए इस न्यायालय को यह निर्धारित करने का काम सौंपा गया है कि क्या खारिज किए गए पैरोल

आवेदन की स्थिति में, प्रजनन के माध्यम से पारिवारिक वंश का संरक्षण हस्तक्षेप के लिए एक दृढ़ आधार का गठन करता है।

3. इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दं.प्र.सं.) की धारा 482 सह - पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दायर वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार के विद्वान उप-सचिव (गृह) द्वारा पारित दिनांक 08.08.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए रिट जारी करने और प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता को 12 सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल पर रिहा करने का निर्देश देने के लिए परमादेश रिट जारी करने की मांग की है।

<u>तथ्यात्मक पृष्ठभूमि</u>

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वर्तमान में याचिकाकर्ता जेल संख्या 8/9, तिहाड़, नई दिल्ली में बंद है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं.), की धारा 302/201/404 के अधीन थाना महरौली, दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी सं. 592/2007 में दोषी ठहराया गया था और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

5. जैसा कि याचिका से पता चला है, याचिकाकर्ता छूट की अवधि को छोड़कर पहले ही 14 वर्ष से अधिक अवधि जेल में बिता चुका है।

6. यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को चुनौती देते हुए दायर अपील को इस न्यायालय ने

14.11.2015 पर खारिज कर दिया था। आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता की पत्नी ने 27.05.2023 को दायर एक आवेदन के *माध्यम* से निम्नलिखित आधार पर पैरोल देने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया था:

> ***"याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी अपने वंश-वृक्ष के संरक्षण के लिए बच्चा करके अपनी वंशावली की रक्षा करना चाहते हैं।"***

7. उपर्युक्त आवेदन उप सचिव, गृह विभाग को भेज दिया गया था। गृह विभाग के उप सचिव ने निम्नलिखित आधारों पर पैरोल आवेदन को खारिज कर दिया था:

> "1. दिल्ली जेल नियम 2018 के नियम 1210 उप नियम (II) के मद्देनजर दोषी पैरोल का हकदार नहीं है, जिसमें कहा गया है कि:- नियम 1210 उप नियम *(II): "किसी भी जेल अपराध के लिए बड़ी सजा पाने वाले कैदी का आचरण आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों तक लगातार अच्छा होना चाहिए और ऐसे कैदी का आचरण जिसे जेल अपराध के लिए मामूली सजा दी गई है या कोई सजा नहीं दी गई है, आवेदन की तिथि से पिछले एक वर्ष तक लगातार अच्छा होना चाहिए था। इस मामले* में, नामावली के अनुसार, उक्त दोषी को दिनांक 31.12.2021, 03.01.2022 और 05.01.2022 को सजा सुनाई गई है, जो दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 1271 के मद्देनजर बड़ी सजा है।
>
> 2. इसके अतिरिक्त, नामावली सूची के अनुसार, उपरोक्त दोषी का समग्र जेल आचरण कई सजाओं के कारण असंतोषजनक बताया गया है। अधीक्षक ने भी उपरोक्त दोषी को पैरोल देने की सिफारिश नहीं की है।"

<u>इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलें</u>

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता पिछले तीन वर्षों से विवाहित है और उसकी पत्नी सुश्री "एक्स" की अब तक कोई संतान नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता की आयु लगभग 41 वर्ष है और उसकी पत्नी की आयु लगभग 38 वर्ष है, इसलिए वे अपने वंश-वृक्ष को सुरक्षित करने के लिए संतान पैदा कर अपनी वंशावली की रक्षा करना चाहते हैं। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता कुछ चिकित्सा परीक्षणों से गुजरना चाहता है, और वह पात्रे निषेचन (आईवीएफ) के माध्यम से बच्चा करना चाहते हैं। तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता पहले ही 14 वर्ष से अधिक अवधि की सजा बिना किसी राहत के भुगत चुका है और वह जेल में लंगर सहायक के रूप में सेवारत है। तर्क दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने पैरोल आवेदन के विवरण से संतुष्ट नहीं हैं , और उन्होंने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी अपने वंश-वृक्ष को सुरक्षित करने के लिए एक संतान करके अपने वंशावली की रक्षा करना चाहते हैं और याचिकाकर्ता को दिनांक 31.12.2021, 03.01.2022, 05.01.2022 को दी गई पिछली सज़ाओं के कारण आवेदन को खारिज कर दिया है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ता को पैरोल दी जाए।

9. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान अति.स्था.अधि. का तर्क है कि जिस आधार पर पैरोल की मांग की गई थी, वह कनूनी रुप से पैरोल देने के लिए एक वैध आधार नहीं है और इसके अतिरिक्त, नामावली के अनुसार,

दोषी का समग्र जेल आचरण "असंतोषजनक" है क्योंकि उसे कई सजाएं दी गई हैं। यह भी कहा गया है कि दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 1210 उप नियम (II) के मद्देनजर दोषी पैरोल का हकदार नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि दोषी को बड़ी सजा दिए जाने में दो वर्ष भी नहीं बीते हैं, जो पैरोल पर रिहा होने के लिए अनिवार्य है। हालांकि, कहा गया है कि सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, थानाध्यक्ष, थाना महरौली द्वारा एक जांच की गई थी और पाया गया था कि याचिकाकर्ता हीरागढ़, नैनीताल, उत्तराखंड का स्थायी निवासी है, जिसकी शादी वर्ष 2020 में हुई थी और विवाह से कोई संतान पैदा नहीं हुई है।

10. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अति.स्था.अधि. द्वारा दी गई दलीलें सुनी हैं और अभिलेख पर उपलब्ध मुकदमा फाइल और सामग्री का अध्ययन किया है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

11. वर्तमान मामले से पता चलता है कि दोषी यानी याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया है और वह लगभग पिछले 14 वर्षों से जेल में है। उसकी उम्र करीब 41 साल है, जबकि उसकी पत्नी की उम्र 38 साल है।

12. बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया था कि अभियुक्त और उसकी पत्नी को एक विशेष अस्पताल द्वारा आयोजित कुछ चिकित्सा परीक्षणों और नैदानिक परीक्षणों से गुजरना पड़ सकता है और

आईवीएफ उपचार की भी आवश्यकता हो सकती है।

क. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आने वाला प्रजनन का अधिकार

13. इस न्यायालय की राय है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, किसी व्यक्ति की कैद के कारण पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि, दोषी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मानव अधिकार को राज्य की सुरक्षा के पक्ष में और कानून का शासन स्थापित करने के उद्देश्य के आगे झुकना पड़ता है, दोषी को जीवन के मौलिक अधिकार, जो कि व्यापक **है, के संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है और इस न्यायालय की राय में, किसी** मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, बच्चा पैदा करने का अधिकार भी शामिल होगा। हालांकि किसी संवैधानिक न्यायालय को कानून के शासन को सुनिश्चित करना होता है, उसे सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करना होगा।

14. दिल्ली जेल नियम, 2018 में पैरोल देने के आधार के रूप में बच्चों के प्रजनन और जनकता का उल्लेख नहीं है। फिर भी **इस न्यायालय की राय में, यदि नियम किसी विशिष्ट आधार के लिए प्रावधान नहीं करते हैं, तो यह एक संवैधानिक न्यायालय को किसी आधार के विशिष्ट उल्लेख से परे**

जाने से नहीं रोक सकता है और किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, नियमों के इरादे और सामग्री और व्यावहारिक संदर्भ जिसमें उनकी व्याख्या करने की आवश्यकता है, को ध्यान में रखते हुए उसके समक्ष प्रार्थना की व्याख्या और निर्णय कर सकता है।

15. इस संबंध में, वर्तमान मामले और समान प्रकृति के मामलों के तथ्यात्मक संदर्भ में, यह न्यायालय मानता है कि किसी दोषी की लंबी कैद के परिणामस्वरूप, यदि दोषी की उम्र और दोषी और उसके वैवाहिक साथी की उम्र उनके लिए गर्भधारण करने और भविष्य में बच्चे के प्रजनन में बाधा बन सकती है, उनकी प्रार्थना पर कानून के मापदंडों के अधीन विचार करने और सहानुभूति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता होगी ।

16. **हालांकि सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए पैरोल दी जा सकती है, जो एक बड़ी अवधारणा है, वर्तमान मामले में इस कारण पैरोल देने का आधार कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है।** अभियुक्त की उम्र करीब 41 वर्ष है जबकि उसकी पत्नी की उम्र करीब 38 वर्ष है, उनकी शादी को तीन वर्ष हो चुके हैं। अभियुक्त पिछले 15 वर्षों से न्यायिक हिरासत में है और पैरोल/प्रावकाश मिलने के दौरान उसकी शादी हुई थी। दोषी और उसकी पत्नी की चिंता वास्तविक प्रतीत होती है कि उनकी उम्र और शारीरिक अवस्था कैद की अवधि खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती है। दोषी और उसकी पत्नी

को बच्चा करने के लिए चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है और उसी के लिए दोषी को कुछ नैदानिक परीक्षणों से भी गुजरना पड़ता है।

17. इस न्यायालय की राय है कि एक संवैधानिक न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा जाए और इसका उल्लंघन न हो। नागरिक की परिभाषा के अंतर्गत दोषी भी शामिल किया जाएगा। किसी दोषसिद्ध व्यक्ति की मात्र जेल जाने के कारण नागरिकता कम नहीं हो जाती है और उसके मौलिक अधिकार समान ही रहते हैं और उन्हें किसी भी अन्य स्वतंत्र नागरिक के समान ही महत्व दिया जाना चाहिए।

18. **इस न्यायालय का यह भी विचार है कि प्राकृतिक रूप से बच्चे करना मानवीय प्रवृत्ति और किसी व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा है जो उसके जीवन में मूल्य या अर्थ जोड़ने के उद्देश्य से हो सकती है।** यह एक पारिवारिक वंशावली सुनिश्चित करने और उनके वंश वृक्ष को बचाने के उद्देश्य से भी हो सकता है। इसलिए, बच्चे पैदा करने के उद्देश्य से पैरोल मांगना, जब दोषी और उसकी पत्नी की शारिरिक स्थिति उनका साथ न दे रही हो, और यह कुछ वर्षों के बाद बच्चा पैदा करने में बाधा बन जाए, तो इसे वैवाहिक संबंधों के उद्देश्य से या किसी अन्य पूर्ति के लिए नहीं, लेकिन प्रजनन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए माना जाना चाहिए।

19. वर्तमान मामले में, दोषी की उम्र को देखते हुए चिकित्सा सहायता के साथ प्रजनन के उद्देश्य से पैरोल की प्रार्थना की गई है, वह लगभग 25 वर्ष की आयु से जेल में रहा है, और अब लगभग 41 वर्ष का है, और इस संबंध में दोषी और उसकी पत्नी के दृष्टिकोण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस न्यायालय का मानना है कि यह एक व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद और मौलिक अधिकार है, भले ही वह दोषी हो, और उसकी पत्नी जो एक स्वतंत्र नागरिक है, अपने वंशावली की रक्षा और संरक्षण के लिए बच्चा पैदा करना चाहते हैं, जिसका न्यायालय द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। लोग अलग-अलग परिस्थितियों में **अलग-अलग विकल्प चुनते हैं और हर कोई बच्चे को जन्म दिए बिना अधूरे होने के बारे में एक ही तरह से महसूस नहीं करता है और न्यायालयों द्वारा उस दृष्टिकोण का भी सम्मान किया जाता है।**

20. **विधि की महानता कानून के दायरे में रहते हुए विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने, उनका सम्मान करने और अपनाने की क्षमता में निहित है। कानून के शासन की दृष्टि से, ऐसा आदेश पारित करें जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेद-भाव के राहत प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय की राय में, मौलिक अधिकारों की परिभाषा और इसके विस्तार को शब्दों के संकीर्ण सूत्रों में कैद नहीं किया जा सकता है और इसका कर्तव्य और सौंदर्य इसकी व्याख्या व्यापक दृष्टिकोण के साथ करने में निहित है क्योंकि न्यायिक प्रणाली में आम आदमी का विश्वास भारत के न्यायालयों के कंधों पर है।**

21. इस अवलोकन की पृष्ठभूमि में, **इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार में किसी दोषी का प्रजनन का अधिकार शामिल होगा, जिसमें यदि उसे प्राकृतिक रूप से संतान का सुख प्राप्त न हुआ हो तो इस उद्देश्य के लिए उसे पैरोल की राहत और चिकित्सा सहायता दी जाएगी क्योंकि उम्र के कारण उसकी शारीरिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे बच्चे होने की संभावनाएं धूमिल हो सकती हैं।**

22. न्यायालयों को इस प्रकार के मामलों से निपटते समय और इस आयु वर्ग के दोषियों द्वारा की गई प्रार्थनाओं के बारे में संवेदनशील होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिना विचारे आदेश पारित करके उन्हें जनकता के अधिकार से वंचित कर मानवाधिकारों और उनके आतंरिक मूल्य का गंभीर उल्लंघन न किया जाए और इस आधार पर संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाकर और यह मान कर कि परिनियम विशेष रूप से पैरोल देने के लिए इस आधार का प्रावधान नहीं करता है, उसे पैरोल देने से इंकार न किया जाए।

23.इसके अतिरिक्त , प्राकृतिक संतान होने में देरी का मतलब दोषी की कैद के कारण जनकता के इस मौलिक अधिकार का हनन करना। **इस न्यायालय की राय में, किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, वर्तमान मामले में, कैद के बावजूद, प्रजनन का अधिकार बना रहता है।**

24. **हलांकि भारतीय न्यायपालिका ने हमेशा ही यह मानने से साफ़ इनकार कर दिया है कि कैदियों के कोई मौलिक अधिकार नहीं हैं, यह न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा सौंपी गई उसी परंपरा का पालन करता है और यह न्यायालय सम्मानपूर्वक संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने और नई स्थितियों और चुनौतियों को शामिल करने के पक्ष में व्याख्या करने का इरादा रखता है कि जनकता और प्रजनन का अधिकार किसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में दोषी का मौलिक अधिकार है। कहने की जरूरत नहीं है, इसे प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायनिर्णीत किया जाएगा।**

25. **इसके अतिरिक्त, न्यायिक निर्णयों में जीवन की वास्तविकताओं और वैध मानवीय इच्छाओं को नज़रअंदाज किए बिना किसी निश्चित परिस्थिति में दोषी के मौलिक अधिकार को बनाए रखने का संयोजन अच्छा और सोचा-समझा होना चाहिए और इस प्रकार, इस प्रक्रिया में यह दृष्टिकोण बना रहना चाहिए कि कैदी भी इंसान हैं।**

26. इस न्यायालय की राय में, वर्तमान परिस्थितियों में, जहां दोषी और उसकी पत्नी को उनकी उम्र के कारण चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, बच्चा करने का मौलिक अधिकार, जिसे मानव अधिकार के रूप में माना गया है, को राज्य हित में उस प्रकार समर्पित किया गया नहीं माना जा सकता जैसे एक बार किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद उसकी

स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अधिकार को राज्य हित में समर्पित करना पड़ता है।

27. जब दोषी को विधि अनुसार पैरोल मिलने के अन्य विकल्प उपलब्ध हैं, तो यह न्यायालय अपने असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि दोषी की कैद, दोषी की बढ़ती उम्र के कारण चिकित्सा प्रक्रियाओं की सहायता से प्रजनन के मौलिक अधिकार के बीच बाधा नहीं बनेगी, जबकि न्यायालय विधि के शासन और नागरिकों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए दोषी को जेल में रखने के राज्य के अधिकार को सुनिश्चित करता है।

28. निष्कर्ष के रूप में, किसी दोषी के पास जैविक संतान न होना और अभियुक्त के लंबे समय से हिरासत में रहने के परिणामस्वरूप दोषी की बढ़ती उम्र के कारण प्रजनन के उद्देश्य और चिकित्सा सहायता के लिए पैरोल दिए जाने जैसे आदेश पारित करते समय न्यायालयों को यह ध्यान रखना होगा कि प्रस्तुत तथ्य कैदियों के जनकता और प्रजनन के मौलिक अधिकार और कैदी को एक सामाजिक प्राणी मानने के मूल्यांकन पर खरे उतरते हैं।

29. हालांकि न्यायालय यह समझता है कि दोषी ठहराए जाना और कैद होना निश्चित रूप से विवाहित जीवन के कई पहलुओं को सीमित करता है और पैरोल देना उचित प्रतिबंधों और बाध्यकारी राज्य हित के परिपेक्ष में होना चाहिए, इस क़ानून के अनुसार संतुलित करना होगा।

30. न्यायालयों को निवेदन किये गए उद्देश्य के लिए दोषी को पैरोल देने से इनकार करने के प्रभाव पर और यह सिद्धांत कि दोषसिद्धि के बाद सजा का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि सुधार करना है, के आलोक में दिए गए निर्णय का उसके आने वाले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर भी विचार करना होगा।

31. इस मामले में याचिकाकर्ता ने उस कारण का विवरण दिया है जो याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी की बढ़ती उम्र के कारण चिकित्सा सहायता के साथ प्रजनन और जनकता के वैध अधिकार के लिए पैरोल दिये जाने का हकदार बनाता है।

32. इस न्यायालय ने ध्यान दिया है कि पिछले लगभग दो वर्षों में वर्तमान दोषी को कोई बड़ी सज़ा नहीं दी गई है, यानी अंतिम सज़ा उसे 05.01.2022 को दी गई थी, जो दर्शाता है कि यहां दोषी अपने विवाह के बाद खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है, जो ध्यान देने योग्य कारक है।

33. **यह स्पष्ट किया जाता है कि यह न्यायालय वर्तमान आदेश में कैद के दौरान वैवाहिक संबंध और वैवाहिक अधिकारों को बनाए रखने या वैवाहिक मुलाकातों के उद्देश्य से पैरोल की प्रार्थना पर विचार नहीं कर रहा है । यह न्यायालय दिल्ली जेल नियम, 2018 के अधीन पैरोल की मंजूरी को नियंत्रित करने वाले कानून और नियमों के मापदंडों के अधीन , किसी दोषी के बच्चा**

करने के लिए आवश्यक इलाज़ के लिए मांगी जा रही पैरोल के मुद्दे से निपट रहा है।

34. इस न्यायालय की राय में, न्याय कृत्रिम नहीं बल्कि मानव जीवन की वास्तविकता के समान ही व्यावहारिक है, और मामलों का निर्णय करते हुए इसे ध्यान में रखना होगा। यह न्यायालय यह भी ध्यान देता है कि प्रजनन का अधिकार आम तौर पर तब दिया जाता है जब कोई स्वतंत्र नागरिक होता है। हालांकि, यह तब और मूल्यवान और महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई व्यक्ति कैद किया जाता है और प्रजनन और जनकता के उद्देश्य से पैरोल के आदेश पर निर्भर होता है। जब यह न्यायालय इस विचार पर ध्यान केन्द्रित करता है, तो यह केवल इस निर्णय पर पहुंचता है कि चिकित्सकीय सहायता प्राप्त प्रजनन के उद्देश्य से पैरोल पर रिहा करने की प्रार्थना ग्राह्य इच्छा है और दोषी इस आधार पर पैरोल का हकदार है।

ii. जेल में रहते हुए प्रजनन करने का अधिकार अखंडनीय नहीं है

35. साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि सभी मामलों में प्रजनन की इच्छा अखंडनीय अधिकार बनने का आधार नहीं हो सकती है, उदाहरण के लिए, यदी कैदी का पहले से ही बच्चा हो या उसकी उम्र अधिक न हो ।

36. **प्रजनन का अधिकार आत्यन्तिक नहीं है और एक प्रासंगिक परीक्षा की आवश्यकता है। कैदी के माता-पिता की स्थिति और उम्र जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत अधिकारों और व्यापक सामाजिक विचारों के**

बीच नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि प्रजनन का अधिकार स्वाभाविक रूप से इस धारणा से जुड़ा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वंशावली का विस्तार करने का अधिकार है। हालाँकि, यह अधिकार इसकी बारीकियों के बिना नहीं है, और इसका परिपालन विभिन्न विचारों के अधीन है। यदि कैदी के पहले से ही बच्चे हैं, तो अधिकार के इस गतिशील पहलू को पूरा माना जा सकता है।

<u>निष्कर्ष</u>

37. निष्कर्ष में, यह न्यायालय मानता है कि दोषी और उसकी पत्नी की बढ़ती उम्र के कारण चिकित्सकीय सहायता से प्रजनन की सुविधा के लिए पैरोल की याचिका, उनके वंशावली की रक्षा और संरक्षण की वास्तविक इच्छा पर आधारित है। ऐसा करने में, न्यायालय पुष्टि करता है कि एक दोषी भी अपने मौलिक अधिकारों को खोता भी नहीं है और विधि के समक्ष समान प्रतिफल का हकदार रहता है ।

38. इस प्रकार, पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, यह न्यायालय निम्नलिखित शर्तों के अधीन, याचिकाकर्ता को चार (04) सप्ताह की अवधि के लिए पैरोल देने के लिए इच्छुक है:

क. याचिकाकर्ता जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए 20,000/- रुपये की राशि का एक स्वीय बंधपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसे उतनी ही राशि जमानत राशि के रूप में देनी होगी।

ख. याचिकाकर्ता न्यायालय की अनुमति के बिना सेंट्रल जेल, मंडोली, दिल्ली आने-जाने के अलावा जिला नैनीताल, उत्तराखंड नहीं छोड़ेगा और सामान्य तौर पर इस आवेदन में उल्लिखित पते पर निवास करेगा;

ग. याचिकाकर्ता को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक बुधवार को सुबह 11 बजे से 11:30 बजे के बीच थानाध्यक्ष, थाना काठगोदाम, जिला नैनीताल, उत्तराखंड को रिपोर्ट करेगा । हालांकि, याचिकाकर्ता को ऐसी यात्राओं के दौरान पुलिस थाने में एक घंटे से अधिक समय तक इंतजार नहीं कराया जाएगा;

घ. याचिकाकर्ता को जेल अधीक्षक के साथ-साथ स्थानीय पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को एक टेलीफोन/मोबाइल नंबर देना होगा, जिस पर आवश्यकता पड़ने पर उससे संपर्क किया जा सके । उक्त टेलीफोन नंबर को याचिकाकर्ता द्वारा हर समय सक्रिय और चालू रखा जाएगा।

ङ यदि याचिकाकर्ता के पास पासपोर्ट है, तो उसे वह जेल अधीक्षक को अभ्यर्पण करना होगा।

च. पैरोल की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता जेल अधीक्षक के समक्ष अभ्यर्पण करेगा।

छ. पैरोल की अवधि की गणना उस दिन से की जाएगी जब याचिकाकर्ता को जेल से रिहा किया जाएगा।

39. तदनुसार, वर्तमान याचिका उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित की जाती है।

40. इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्री द्वारा संबंधित जेल अधीक्षक को सूचना हेतु भेजी जाए।

41. निर्णय को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

स्वर्ण कांता शर्मा, न्या.

22 दिसंबर, 2023
आंचल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*